Ckkg; lsok

क्र0	बाह्य सेवा से सम्बन्धित विषय	लागू नियम	अभ्युक्ति
1	परिभाषाऐं	मूल नियम 110 से 127 तक तथा सहायक नियम 185,186 तथा 206 से 208 मूल नियम 50–51 तथा 51–ए मूल नियम 110	भारत के भीतर भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति पर ड्यूटी के संबंध में सरकारी सेवक के इच्छा के विरूद्व बाह्य सेवा में स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता है।
2	बाह्य सेवा में स्थानान्तरण	मूल नियम 111 व मूल नियम 112	
3	बाह्य सेवा के दौरान पदोन्नति	मूल नियम–113	
4	बाह्य सेवा की अवधि में कार्यभार ग्रहणकाल में वेतन	मूल नियम–114	
5	बाह्य सेवा में पेंशन एवं अवकाश अंशदान	मूल नियम–115	
6	पेंशन एवं अवकाश अंशदान की दरें	मूल नियम–116 व 117	
7	पेंशन एवं अवकाश वेतन अंशदान से छूट	मूल नियम–119,120 व 121	
8	शासन के अतिरिक्त अन्य अवकाश नियमों का लागू न होना	मूल नियम–122,123 व 124	
9	बाह्य सेवा से प्रत्यावर्तन	मूल नियम–125 व 126	

i;'ku v;'knku dh ekfld nj ¼orueku d; vf/kdre dk ifr'kr e½
¼fDyhd½

vodk'k oru rFkk i'ku lEcU/kh v'knku %

- वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–2 , भाग 2 से 4 के मूल नियम 115 एवं 116 के अधीन शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित दरों के अनुसार अवकाश वेतन का अंशदान तथा पेंशन के लिए अंशदान दोनों का ही भुगतान सरकारी सेवक अथवा वाह्य सेवायोजक द्वारा जैसी भी स्थिति हो किया जायेगा। राज्य सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा वाह्य सेवा की अवधि में पेंशनरी/अवकाश वेतन अंशदान आदि का भुगतान शासनादेश संख्या सा–1–1960/दस–534 (38)/22 दिनांक 30 नवम्बर, 1988 में उल्लिखित लेखाशीर्षकों में जमा किया जायेगा।

i'kujh v'knku

0071 – पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के सम्बन्ध में अंशदान की वसूली
01 – सिविल
101 – अभिदान और अंशदान
05 – प्रतिनियुक्ति पर गये सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों का पेंशन के लिये अंशदान

- अंशदानों का भुगतान वार्षिक आधार पर किया जायेगा। इसे विलम्बतम 15 अप्रैल तक किया जाना होगा। समय से जमा न कराने पर अंशदानों पर रु0 100 पर 2 पैसा प्रतिदिन की दर से ब्याज भी देना होगा।

lgk;d fu;e 185

vodk'k oru v'knku lEcfU/kr iujhf{kr y[kk 'kh"kd

1	जिन विभागों से सम्बन्धित कार्यात्मक मुख्य शीर्षकों के अनुरूप प्राप्ति शीर्षक उपलब्ध हैं।	मुख्य शीर्षक –कार्यात्मक मुख्य शीर्षक के अनुरूप प्राप्ति शीर्षक –उप मुख्य शीर्षक(यदि कोई हो) लघु शीर्षक –800–अन्य प्राप्तियॉ उप शीर्षक –अवकाश वेतन अंशदान(तदनुसार कोड संख्या का उल्लेख कर दिया जाये)
2	वे विभाग जिनसे सम्बन्धित कार्यातमक मुख्य शीर्षकों के अनरूप प्राप्ति शीर्षक उपलब्ध नहीं हैं और वे अन्य प्रशासनिक सेवाओं के क्षेत्र में आते हैं तथा अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के सम्बन्ध में वसूल किया जाने वाला अवकाश वेतन अंशदान।	मुख्य शीर्षक –0070(अन्य प्र ाासनिक सेवायें) उप मुख्य शीर्षक –60–अन्य सेवायें लघु शीर्षक –800–अन्य प्राप्तियॉ उप शीर्षक –17 अवका ा वेतन अं ादान
3	वे विभाग जिनके सम्बन्धित कार्यालय मुख्य शीर्षक के अनुरूप प्राप्ति उपलब्ध शीर्षक नहीं हैं और वे अन्य सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में आते हैं।	मुख्य शीर्षक –0235–सामाजिक ससुरक्षा एंव कल्याण उप मुख्य शीर्षक –60–अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम लघु शीर्षक –800–अन्य प्राप्तियॉ उप शीर्षक –09–अवकाश वेतन अंशदान
4	वे विभाग जिनसे सम्बन्धित कार्यात्मक मुख्य शीर्षक के अनुरूप प्राप्ति शीर्षक उपलब्ध नहीं हैं और वे अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के क्षेत्र में आते हैं।	मुख्य शीर्षक –1475–अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें लघु शीर्षक –800–अन्य प्राप्तियॉ उप शीर्षक –02–अवकाश वेतन अंशदान

i'ku v'knku dh nj %&

- पेंशन अंशदान सेवा अवधि तथा अनुमन्य वेतनमान के अधिकतम पर आगणित किया जाता है।

i'ku v'knku dh ekfld nj ¼orueku d vf/kdre dk ifr'kr e½

lsok vof/k	J.kh ^^d^^	J.kh ^^[k^^	J.kh ^^x^^	J.kh ^^?k^^
0–1 वर्ष	7%	6 %	5 %	4 %
1–2 वर्ष	7 %	6 %	6 %	4 %
2–3 वर्ष	8 %	7 %	6 %	5 %
3–4 वर्ष	8 %	7 %	7 %	5 %
4–5 वर्ष	9 %	8 %	7 %	5 %
5–6 वर्ष	10 %	8 %	7 %	6 %
6–7 वर्ष	10 %	9 %	8 %	6 %
7–8 वर्ष	11 %	9 %	8 %	6 %
8–9 वर्ष	11 %	10 %	9 %	7 %
9–10 वर्ष	12 %	10 %	9 %	7 %
10–11 वर्ष	12 %	11 %	10 %	7 %
11–12 वर्ष	13 %	11 %	10 %	8 %
12–13 वर्ष	14 %	12 %	10 %	8 %
13–14 वर्ष	14 %	12 %	11 %	8 %
14–15 वर्ष	15 %	13 %	11 %	9 %
15–16 वर्ष	15 %	13 %	12 %	9 %
16–17 वर्ष	16 %	14 %	12 %	9 %
17–18 वर्ष	16 %	14 %	13 %	10 %
18–19 वर्ष	17 %	15 %	13 %	10 %
19–20 वर्ष	17 %	15 %	13 %	10 %
20–21 वर्ष	18 %	16 %	14 %	11 %
21–22 वर्ष	19 %	16 %	14 %	11 %
22–23 वर्ष	19 %	17 %	15 %	11 %
23–24 वर्ष	20 %	17 %	15 %	12 %
24–25 वर्ष	20 %	17 %	16 %	12 %
25–26 वर्ष	21 %	18 %	16 %	12 %
26–27 वर्ष	21 %	18 %	16 %	13 %
27–28 वर्ष	22 %	19 %	17 %	13 %
28–29 वर्ष	23 %	19 %	17 %	13 %
29–30 वर्ष	23 %	20 %	18 %	13 %
30 से अधिक वर्ष	23 %	20 %	18 %	14 %

mnkgj.k-------- एक, उप निदेशक जो कि वेतनमान रु0 10,000–325–15,200 में दिनांक 1–1–2001 से वाह्य सेवा में कार्यरत है। वेतनवृद्धि के दिनांक 1–11–2000 को उनका मूल वेतन रु011,300 तथा दिनांक 28–11–2000 को उन्होंने सेवा में 10 पूर्ण कर लिये है। दिनांक 1–1–2001 से दिनांक 31–12–2001 तक की अवधि के लिए इस अधिकारी के पेंशन तथा अवकाश वेतन अंशदान की गणना की प्रकिया :–

- उप निदेशक के मूल वेतन की गणना

1–11–2000	रु0 11,300
1–11–2001	रु0 11,625
1–11–2002	रु0 11,950

- उप निदेशक की सेवा अवधि की गणना

28–11–2000	10 वर्ष
28–11–2001	11 वर्ष
28–11–2002	12 वर्ष

- i'ku v'knku dh x.kuk

01–01–2001 से 27–11–2001	15,200 X 12% = रु0 1824.00 प्रतिमाह की दर से
28–11–2001 से 27–11–2002	15,200 X 13% = रु0 1976.00 प्रतिमाह की दर से
28–11–2002 से 31–12–2002	15,200 X 14% = रु0 2128.00 प्रतिमाह की दर से

- vodk'k o:rn v'knku dh x.kuk

01–01–2001 से 31–10–2001	11,300 X 11% = रु0 1243.00 प्रतिमाह की दर से
01–11–2001 से 31–10–2002	11,625 X 11% = रु0 1278.75 प्रतिमाह की दर से
01–11–2002 से 31–12–2002	11,950 X 11% = रु0 1314.50 प्रतिमाह की दर से

- शासनादेश संख्या 217/XXVII(7)/2010, दिनांक 04 जनवरी, 2010 के अनुसार सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/वि व बैंक/बाह्य सहायतित परियोजनओं आदि में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति कार्मिक को :–

(1) प्रतिनियुक्ति भात्ता उसी स्टेशन पर तैनाती पर–ग्रेड पे का 10%

(2) प्रतिनियुक्ति भत्ता स्टेशन से बाहर तैनाती पर–ग्रेड पे का 20%

(3) प्रतिनियुक्ति पर वेतन, वेतन बैंड में वेतन तथा प्रतिनियुक्ति भत्ते के योग के बाराबर की धनराशि है। परन्तु अधिकतम् सीमा रू0 67000/–तक होगी।

okg; lsok d: vU; e[; fcUn

➢ वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2 भाग 2 से 4 के मूल नियम–9(7) में वाह्य सेवा को परिभाषित किया गया है और इसके अनुसार वाह्य सेवा का तात्पर्य वह सेवा है, जिसमें सरकारी सेवक अपना वेतन शासन की स्वीकृति से केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार अथवा सरकार के परिषद् के राजस्व के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से प्राप्त करता है। उदाहरणार्थ, शासन के विभिन्न निगमों, विश्वविद्यालयों, स्थानीय निकायों, विकास प्राधिकरणों आदि में सरकारी सेवक वाह्य सेवा पर भेजे जा सकते हैं। वाह्य सेवा से सम्बन्धित नियम वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–2 भाग–2 से 4 के अध्याय – 12 के अन्तर्गत मूल नियम–110 से 127 तक तथा सहायक नियम 185, 186 तथा 206 से 208 में दिये हुये हैं। वाह्स सेवा से सम्बन्धित मुख्य मूल नियम निम्न है :

- उत्तराखण्ड शासन के पूर्ण अथवा आंशिक रुप से स्वामित्व अथवा नियंत्रण में आने वाले निकायों को छोड़कर किसी भी सरकारी कर्मचारी को उसकी इच्छा के विरुद्ध वाह्य सेवा में स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता है। भारतवर्ष के बाहर किसी सरकारी कर्मचारी को वाह्य सेवा में भेजने हेतु शासन की स्वीकृति आवश्यक है। भारत में भी सरकारी कर्मचारी को वाह्य सेवा में स्थानान्तरण के लिए शासन की स्वीकृति अपेक्षित है, परन्तु कतिपय मामलों में भारतवर्ष के अन्दर वाह्य सेवा में स्थानान्तरण का अधिकार अधीनस्थ अधिकारियों को प्रतिनिधानित कर दिया गया है। अराजपत्रित कर्मचारियों को उत्तराखण्ड के बाहर अथवा भारत में वाह्य सेवा पर विभागाध्यक्ष द्वारा भेजा जा सकता है।

मूल नियम 110

- वाह्य सेवा में स्थानान्तरण तब तक अनुमन्य नहीं है जब तक कि स्थानान्तरण के पश्चात की जाने वाली ड्यूटी ऐसी न हो जो जनहित में सरकारी कर्मचारी द्वारा ही की जानी आवश्यक हो एवं साथ ही साथ सम्बन्धित सरकारी सेवकों का स्थायी पद पर लियन भी हो।

मूल नियम 111

मूल नियम 111–के नीचे दिये गये राज्यपाल के आदेश के अनुसार एक अस्थायी सरकारी सेवक को भी वाह्य सेवा पर भेजा जा सकता है। यदि सरकारी सेवक की सेवायें किसी निजी कम्पनी को दी जानी हो तो इस नियम (मूल नियम 111) के सिद्धान्त को अत्यन्त कठोरता से लागू किया जाना चाहिये।

- यदि कोई सरकारी सेवक अवकाश पर है और अवकाश पर रहते हुये ही उसे वाह्य सेवा में स्थानान्तरित कर दिया जाता है तो इस स्थानान्तरण की तिथि से उसका अवकाश में रहना तथा अवकाश वेतन पाना समाप्त हो जाता है।

मूल नियम 112

- वाह्य सेवा में स्थानान्तरित सरकारी सेवक उस संवर्ग/सेवा में बना रहेगा जिसमें वह स्थानान्तरण से पूर्व स्थायी/ अस्थायी रुप से कार्यरत रहा है। पैतृक विभाग में देय प्रोन्नतियों का लाभ भी उसे देय होगा।
- प्रतिनियुक्ति हेतु ऐसे कार्मिक भी नियुक्ति के पात्र होंगे, जो स्वीकृत पद के ठीक नीचे के वेतनमान में कार्यरत् हैं।
- प्रतिनियुक्ति पर आये कार्मिक को यह विकल्प रहेगा कि वह अपना संवर्गीय मूल वेतनमान में मूल वेतन और प्रतिनियुक्ति भत्ता ले अथवा नियुक्ति के पद का वेतनमान।

ey fu;e 113

- शासनादेश संख्या –जी–1/दस–82–534(46)–76, दिनांक 14–12–1982 के अनुसार सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, स्थानीय निकायों आदि में सरकारी सेवकों की वाह्य सेवा पर प्रतिनियुक्ति निम्न शर्तों के साथ की जायेगी :–
 - किसी भी सरकारी सेवक को सामान्यतया 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए वाह्य सेवा पर स्थानान्तरित न किया जाये। यदि विशेष परिस्थितियों में 5 वर्ष के बाद भी वाह्य सेवा पर रखना आवश्यक हो तो स्पष्ट कारणों सहित प्रशासकीय विभाग द्वारा ऐसे प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजे जायें। परन्तु शासनादेश संख्या जी–1–176/ दस–99– 534(46)/76टी0सी0, दिनांक 16 मार्च, 99 के प्रस्तर–2 के अनुसार ''सरकारी सेवकों के निगमों आदि में प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने की सामान्य अवधि 03 वर्ष बनाये रखी जा सकती है किन्तु 06 वर्ष के उपरान्त किसी भी दशा में प्रतिनियुक्ति अवधि को न बढ़ाया जाये''।

 - दूसरी बार वाह्य सेवा पर स्थानान्तरित करने के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाये कि बीच में उसने कम से कम पैतृक विभाग में 2 वर्ष तक की सेवा कर ली हो। शासनादेश संख्या सा–1–205/ दस–97–534(46)–76, दिनांक 8 अप्रैल, 1997 के

प्रस्तर–1 के बिन्दु–1 के अनुसार ''किसी भी सरकारी सेवक को जो वाह्य सेवा पर एक बार स्थानान्तरित किया जा चुका है उसे दूसरी बार वाह्य सेवा पर स्थानान्तरित करने से पूर्व पैतृक विभाग में बीच की सेवा अवधि कम से कम दो वर्ष होगी, परन्तु उक्त दो वर्ष की अवधि को विशेष परिस्थितियों में गुणावगुण के आधार पर छःमाह तक रखने का अधिकार प्रशासकीय विभाग में प्रतिनिहित किया जाता है परन्तु इससे कम अवधि के लिए वित्त विभाग की सहमति आवश्यक होगी''।

- प्रतिनियुक्ति पर आये किसी सरकारी सेवक को अपनी संस्था/संगठन में नियमित रुप से संविलियन करना चाहें, तो उस सरकारी सेवक का सम्बन्धित संस्था में समविलियन वित्त विभाग की सहमति से सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शन सिद्धान्त के अनुसार होगा।
- शासनादेश संख्या सा–3–13/दस–97–925/803 दिनांक 6 जनवरी, 1997 के अनुसार 55 वर्ष की आयु से अधिक के सरकारी सेवक प्रतिनियुक्ति पर नहीं भेजे जायेंगे। यदि इन्हें भेजा जाना नितान्त आवश्यक है तो प्रशासनिक विभाग वित्त विभाग की पूर्व सहमति प्राप्त करेंगे।